

भृगु नाथ सहाय सिंह और अन्य

बनाम

मोहम्मद खलीलुर रहमान और अन्य

सितम्बर 4, 1995

[के. रामस्वामी और बी. एल. हांसरिया, न्यायमूर्तिगण]

*बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950:*

*धारा 2(के), 3, 4 और 6- कृषि भूमि- खास कब्जा- मध्यस्थों द्वारा दावा- अभिनिर्धारित, प्रतिवादीगण स्वयं खेती कर रहे हैं, मध्यस्थ किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे उन भूमियों के खास कब्जे में नहीं थे जो धारा 4 के तहत राज्य में निहित हो गईं।*

अपीलकर्ताओं, जो पूर्व मध्यस्थ थे, ने विवादित भूमि पर कब्जे के लिए एक वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने स्वयं को उसका मालिक होने का दावा किया। विचारण न्यायालय ने मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने डिक्री की पुष्टि की, लेकिन उच्च न्यायालय ने, द्वितीय अपील में, याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया और यह माना कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के 25.9.1950 को लागू होने के बाद, याचिकाकर्ताओं का संपत्ति पर कोई हक नहीं था और परिणामस्वरूप वे उत्तरदाता से कब्जा वसूल नहीं कर सकते थे। पीड़ित होकर, याचिकाकर्ताओं ने विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 2(के), 4 और 6 स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना करते हैं कि मध्यस्थ को, निहित की तारीख को, कृषि उद्देश्य या बागवानी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर काश्तकार के रूप में ऐसी भूमि पर

खेती करके या बागवानी कार्य करके, अपने स्वयं के पशुओं या अपने स्वयं के नौकरों या किराए के मजदूरों या किराए के पशुओं के साथ, काशतकार होना चाहिए। [318-बी]

1.2. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर कि उत्तरदाता भूमि की स्वयं खेती कर रहे हैं, अपीलकर्ता किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य में निहित भूमियों के *खास* कब्जे में नहीं थे। इसलिए, अपीलकर्ता भूमियों के *खास* कब्जे में होने का दावा नहीं कर सकते। [318-सी]

1.3. राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा विचाराधीन भूमि को अधिग्रहित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना के मद्देनजर, उक्त भूमि अधिसूचना की तिथि अर्थात् जनवरी 26, 1995 से अधिनियम के प्रावधान के अधीन रहते हुए, सभी भागों से मुक्त राज्य में निहित हो गई है। निहिति की तिथि, अर्थात् जनवरी 26, 1955 को अपीलकर्ताओं के अधिकार, यदि कोई हों, उनमें समाप्त हो जाएंगे और राज्य में निहित हो जाएंगे और सभी भागों से मुक्त हो कर, विपक्षी उत्तरदाताओं द्वारा रखे गए अधिकारों के अधीन, यदि कोई हों, जिसका निर्णय सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्रपत्र में किया जाएगा। [317-बी; 318-डी]

*लबन्या बाला बनाम बिहार राज्य पटना सचिवालय, पटना और एक अन्य, [1994]*

अनुपूरक 3 एस.सी.सी. 725, अवलंबन।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1984 की दीवानी अपील सं. 3689।

पटना उच्च न्यायालय के अपीलीय डिक्री से अपील सं. 132/1973 में दिनांक 7.11.83 के निर्णय और आदेश से।

तपस रे और डी.पी. मुखर्जी अपीलकर्ताओं के लिए।

एम. कमरुद्दीन, फिरोज़ अहमद, सुश्री एम. कमरुद्दीन और सुश्री आर. बेगम उत्तरदाता सं. 1-6, 9 और 11 के लिए।

बी.बी. सिंह राज्य के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना उच्च न्यायालय के ए.ए.डी. सं. 132/1973 में दिनांक नवंबर 7, 1983 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ताओं ने स्वयं को बिहार के बेगूसराय जिले में सरोन्जा गाँव में स्थित एक पुराने तौज़ी सं. 1298 (नई तौज़ी सं. 8655) की 4 बीघा, 15 कट्ठा 10 धूर की भूमि का मालिक होने का दावा किया। उनका अभिवचन था कि उनका उक्त भूमि पर हक था और वे कब्जे में थे और उत्तरदाताओं का उक्त भूमि के कब्जे पर कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने उनके स्वामित्व को मानते हुए कब्जे के मुकदमे को स्वीकार कर लिया। अपील पर, इसकी पुष्टि की गई लेकिन द्वितीय अपील में, उच्च न्यायालय ने इसे उलट दिया और यह माना कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के सितंबर 25, 1950 को लागू होने के बाद, अपीलकर्ताओं का संपत्ति पर कोई हक नहीं था और, परिणामस्वरूप, वे उत्तरदाताओं से कब्जा वसूल नहीं कर सकते थे। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की गई।

इस न्यायालय द्वारा दिसंबर 8, 1994 को जारी किए गए सूचना के अनुसरण में, श्री बी.बी. सिंह, राज्य के विद्वान आधिवक्ता ने राजपत्र में अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा विचाराधीन भूमि को अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना हमारे समक्ष रखी। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि निहित की तारीख, अर्थात्, जनवरी 26, 1955 से अधिनियम के प्रावधान के अधीन रहते हुए, सभी भारों से मुक्त राज्य में निहित हो गई है।

इस प्रकार यह प्रश्न उठता है कि क्या अपीलकर्ता संपत्ति पर हक का दावा कर सकते हैं और विपक्षी उत्तरदाताओं से उसका कब्जा वसूल कर सकते हैं। अधिनियम के तहत निहित के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा *लबन्या बाला (श्रीमती) बनाम बिहार राज्य पटना सचिवालय, पटना और एक अन्य*, [1994] अनुपूरक 3 एस.सी.सी. 725 में विचार किया गया था। यह माना गया था कि धारा 4 के संचालन द्वारा ऐसी संपदाएं या अधिकार क्षेत्र, जिसमें ऐसी संपदा या अधिकार क्षेत्र में मालिक का हित और पेड़ों के जंगलों, मत्स्य पालनों आदि में उसका हित और अन्य सभी सैराती हित भी, साथ ही खान और खनिज आदि में किसी भी अधिकार सहित सभी उप-मृदा अधिकारों में उसका हित, रैयतों या अधिरैयतों के हितों के अलावा, निहित की तारीख से सभी भारों से मुक्त राज्य में पूर्णतः निहित हो जाएंगे और ऐसे मालिक या अधिकार धारक का ऐसी संपदा या अधिकार क्षेत्र में कोई हित नहीं रहेगा सिवाय उन हितों के जो अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों द्वारा या उसके तहत स्पष्ट रूप से बचाए गए हैं, जो यह उपबंधित करता है कि "निहित की तारीख से, कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियां जो ऐसी निहित की तारीख को एक मध्यस्थ के खास कब्जे में थीं, जिसमें कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल है और एक संपदा या अधिकार क्षेत्र के अस्थायी पट्टेदार के प्रत्यक्ष कब्जे में धारण की गई थी और स्वयं अपने पशुओं या अपने सेवकों द्वारा या किराए के मजदूरों या किराए के पशुओं से खेती की गई थी... धारा 7-ए और 7-बी के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य द्वारा ऐसे मध्यस्थ के साथ बसाए गए माने जाएंगे और वह उसका कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा और राज्य के तहत एक रैयत के रूप में उन्हें धारण करेगा, ऐसी भूमियों के संबंध में अधिभोग अधिकार रखते हुए ऐसे उचित और न्यायसंगत किराए का भुगतान करने के अधीन, जैसा कि समाहर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाए।"

खास कब्जे को अधिनियम की धारा 2(के) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

"खास कब्जा" कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि के मालिक के कब्जे के संदर्भ में ऐसे मालिक या अधिकार धारक के कब्जे का अर्थ है ऐसी भूमि की खेती स्वयं अपने पशुओं या अपने सेवकों द्वारा या किराए के श्रम से या किराए पर लिए गए पशुओं से करके या उस पर बागवानी संचालन करके।"

अधिनियम की धारा 2(के) को धारा 4 और 6 के साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की जाती है कि मध्यस्थ का, निहित होने की तिथि पर कृषि या बागवानी प्रयोजन के लिए, प्रयुक्त भूमि पर कब्जा होना चाहिए और ऐसी भूमि पर खेती करके या बागवानी कार्य करके काश्तकार के रूप में कार्य करना चाहिए, स्वयं अपने पशुओं या अपने नौकरों द्वारा या किराए के मजदूरों या किराए के पशुओं द्वारा।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर कि उत्तरदाता भूमि की स्वयं खेती कर रहे हैं, अपीलकर्ता किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य में निहित भूमियों के खास कब्जे में नहीं थे। इसलिए, अपीलकर्ता विचाराधीन भूमि के खास कब्जे में होने का दावा नहीं कर सकते। इसके परिणामस्वरूप, वे भूमि में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अपीलकर्ताओं के अधिकार, यदि कोई हों, निहित होने की तिथि को, अर्थात् 26 जनवरी, 1955 को समाप्त हो जाएंगे और राज्य में निहित हो जाएंगे, सभी बाधाओं से मुक्त होकर, उन अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिनके बारे में सरकार द्वारा उचित रूप में निर्णय लिया जाएगा।

अपील तदनुसार खारिज की जाती है लेकिन बिना खर्च के।

आर.पी.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।